द्वितीय आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515008001001

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

उपकृषि निदेशक (प्रसार),
सोनभद्र तथा फैजाबाद।

संख्या 1/476 /2011–1/9/2011 : लखनऊः दिनांक 23 जून, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– 800–अन्य व्यय– आयोजनेत्तर–10–ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिए व्यवस्था–1001– कृषि विभाग के (कृषि निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी) संबंधी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय में मानक मद 49–चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक उप कृषि निदेशक, सोनभद्र के पत्रांक 98/चि0प्र0पू0 वर्ग–2/2011–12,दिनांक 21–05–11 के अन्तर्गत श्री जंगीराम, सहायक विकास अधिकारी (कृषि), सोनभद्र द्वारा स्वयं की चिकित्सा कराये जाने पर व्यय की गई धनराशि की मांग की गई है तथा उप कृषि निदेशक, फैजाबाद के पत्र संख्या–83/स्थापना/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/बजट/2011–12 दिनांक 03 मई, 2011 के अन्तर्गत श्री राम मूर्ति पाण्डेय, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी (कृषि) के सेवा काल के अवधि में उनके स्वयं के चिकित्सा से सम्बन्धित व्यय हेतु धनराशि की मांग की गयी है। प्रमुख सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1107/33–3–2011–100(41)/2010, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– आयोजनेत्तर–10–ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिए व्यवस्था–1001–कृषि

कृ0पृ0उ0

F:\Jagdish\Allot. Letter\Letter (01) Divisan 08-07-2009.doc

(कृषि निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी) संबंधी अधिष्ठान के अन्तर्गत 49–चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु **₹ 1,01,594–00 (₹ एक लाख एक हजार पांच सौ चौरान्वे मात्र)** की धनराशि निदेशालय के प्रथम आवंटन आदेश सं0–1/41/2011–1/9/2011, दिनांक 15 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न प्रकार आवंटित की जाती है :–

(धनराशि ₹ में)

जनपद	49–चिकित्सा व्यय	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4
सोनभद्र	61625–00	61625–00	1562337–00
फैजाबाद	39969–00	39969–00	1144330–00
योग–	101594–00	101594–00	

(₹ एक लाख एक हजार पांच सौ चौरान्वे मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0–55 पर अंकित है।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/476/1/2010 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी सोनभद्र तथा फैजाबाद।
2– अनुसचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3– उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0शासन।
4– महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
5– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– जिलाधिकारी, सोनभद्र तथा फैजाबाद।
8– निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
9– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

F:\Jagdish\Allot. Letter\Letter (01) Divisan 08-07-2009.doc